भारत सरकार
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5202
बुधवार, दिनांक 02 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>पीएम-एसजीएमबीवाई के अन्तर्गत छतों पर सौर पैनल</u>

5202. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एसजीएमबीवाई) के अंतर्गत आज तक शहरों/नगरीय क्षेत्रों में कितने घरों में छत पर सौर पैनल लगाए गए हैं;

(ख) इस योजना के माध्यम से उपभोक्ताओं को प्रदान की जा रही राजसहायता और वित्तीय लाभ का ब्यौरा क्या है; और

(ग) शहरी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार जन जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं?

उत्तर
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) दिनांक 26.3.2025 की स्थिति के अनुसार, शहरों/शहरी क्षेत्रों सहित देश भर में कुल 10.81 लाख परिवारों को पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजी: एमबीवाई) के तहत रूफटॉप सौर संयंत्रों की स्थापना से इस योजना का लाभ मिला है।

(ख) पीएमएसजी: एमबीवाई के अंतर्गत उपलब्ध केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) निम्नानुसार है:

- व्यक्तिगत घरों के लिए प्रथम 2 किलोवाट पीक के लिए सीएफए 30,000 रु. प्रति किलोवाट पीक और अतिरिक्त 1 किलोवाट पीक के लिए 18,000 रु. प्रति किलोवाट पीक केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) उपलब्ध है। व्यक्तिगत घरों के लिए सब्सिडी की सीमा 3 किलोवाट पीक रूफटॉप सौर संयंत्र क्षमता तक है।
- समूह आवासीय सोसायटी/आवासीय कल्याण समिति (जीएचएस/आरडब्ल्यूए) के लिए सीएफए 18,000 रु. प्रति किलोवाट पीक है, जिसमें रूफटॉप सौर संयंत्र की क्षमता सीमा 500 किलोवाट पीक है।
- विशेष श्रेणी के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य, अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के मामले में सीएफए 10 प्रतिशत अधिक है।

(ग) देश में, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, एमएनआरई की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रमुख समाचार पत्रों में प्रिंट विज्ञापन, टीवी विज्ञापन अभियानों, एफएम स्टेशनों सहित क्षेत्रीय चैनलों पर रेडियो अभियानों जैसी जागरूकता और पहुंच कार्यक्रमों के माध्यम से जन जागरूकता बढ़ाई जा रही है।

शहरी क्षेत्रों सहित सौर परियोजनाओं की उचित स्थापना, प्रचालन और रखरखाव के लिए कुशल मैनपावर तैयार करने के लिए, मानव संसाधन विकास (एचआरडी) कार्यक्रम के तहत विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम जैसे सूर्य मित्र (सौर पीवी तकनीशियन), वरुण मित्र (सौर जल पंपिंग तकनीशियन) आदि कार्यान्वित किये जा रहे हैं।

*****